

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक-रा0खा0आ0 (विविध)-04/2022- 89
प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय-
महाशय,


राँची, दिनांक- 02.02.2022
धान अधिप्राप्ति के मामले में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि शिकायतकर्ता श्री जागेश्वर गोप, ग्राम-गरसुला, अम्बर टोला, पो0-गोसाई बलिया, बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग का शिकायत-पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा ग्राम-गरसुला के धान अधिप्राप्ति केन्द्र, गरसुला P.A.C.S. (L) की भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती जितनी देवी, उनके पुत्र तथा वर्तमान अध्यक्ष द्वारा धान क्रय में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए, इससे सम्बन्धित शिकायत की गई है।

अतः प्राप्त शिकायत-पत्र की प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।